SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD

Industrial Area, Hanumangarh Jn.-335512
Tel No. 01552-260522, 260793, Fax-262847, E-mail: gngmu-rj@nic.in

क्रमांकः—गंगमूल / पीएण्डआई / बीएमसी / 2024 / 11379-81 दिनांकः—05.02.2024

बीएमसी मरम्मत एवं रखरखाव हेतु निविदा सूचना

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, हनुमानगढ़ जं0 द्वारा संघ कार्यक्षेत्र में स्थापित बीएमसी की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए 1 वर्ष हेतु निविदा आमंत्रित की जाती हैं:—

क्र0 स0	कार्यक्षेत्र	कार्य प्रकार	बीएमसी संख्यां	अमानत राशि	धरोहर राशि
1	हनुमानगढ एवं श्रीगंगानगर जिला	मरम्मत एवं रखरखाव 1 वर्ष	59	10,000 / —	10,000 / —

इच्छुक फर्म निर्धारित निविदा प्रपत्र को संघ कार्यालय से दिनांक 19.02.2024 को दोपहर 01:00 बजे तक 236 रूपये शुल्क जमा करवाकर प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरे हुये निविदा प्रपत्र दिनांक 19.02.2024 को दोपहर 02:00 बजे तक संघ कार्यालय हनुमानगढ के पीएण्डआई कार्यालय में जमा करवाये जा सकेंगे जो कि उसी दिन दोपहर 03:00 बजे संघ कार्यालय के पीएण्डआई विभाग में उपस्थित निविदादाता के समक्ष खोली जावेंगी।

भरे हुये निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित अमानत राशि नकद अथवा डीडी के रूप में श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, हनुमानगढ़ के नाम जमा करवानी आवश्यक होगी, अमानत राशि के अभाव में निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। किसी भी निविदा प्रपत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार प्रबंध संचालक, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. के पास सुरक्षित है।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें:— 01552—260793

प्रबंध संचालक

प्रतिलिपी:—

1. अतिरिक्त निजी सचिव प्रबन्ध महोदय को सूचनार्थ।
2. प्रभारी लेखा / प्रभारी पीएण्डआई ।
3. पीएण्डआई कार्यालय नोटिस बोर्ड।
4. कार्यालय पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

प्रबंध संचालक

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0. हनुमानगढ जं0.

निविदा प्रपत्र (बीएमसी मरम्मत एवं रखरखाव)

मूल्य – 236 /–

फार्म संख्या – ....

श्रीमान प्रबंन्ध संचालक महोदय,
गंगमूल डेयरी, हनुमानगढ जं0.।

1. निविदाः– बीएमसी मरम्मत एवं रखरखाव
2. निविदा प्रपत्र शुल्कः– 200 + 18 प्रतिशत जीएसटी (236 रूपये)
3. निविदा देने वाले का पूरा नाम व स्थाई पता – ....
....
....
....
4. दुरभाष न0... ई–मेल आई डी ....
5. मरम्मत एवं रखरखाव दर प्रति बीएमसी प्रति माहः– अंको में ....
शब्दों में ....
6. जीएसटी नं0.(स्वप्रमाणित प्रति संलंग्न करें):– ....
7. निविदा शुल्क रू. 236 / –रसीद / डी.डी.नं0 / दिनांकः– ....
8. अमानत राशि रू.10000 / – रसीद / डी.डी.नं0 / दिनांकः– ....
9. पैन कार्ड नं0.(स्वप्रमाणित प्रति संलंग्न करें):– ....
10. आधार कार्ड न0 (स्वप्रमाणित प्रति संलंग्न करें):– ....
11. समस्त शर्ते मैनें पढ / सुन ली है एवं मुझे मान्य है।
12. यदि नेगोशियेशन किया गया है तो नेगोशियेशन पश्चात् दरः–
अंको में..
शब्दों में..

नेगोशियेशन अधिकृत के हस्ताक्षर

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर

निविदा प्रपत्र भरते समय शर्ते (बीएमसी मरम्मत एवं रखरखाव)

1. निविदादाता को निविदा शर्त मय हस्ताक्षर संलग्न करना अनिवार्य है।
2. प्राप्त निविदा प्रपत्र, निविदा आमत्रंण में दिये गये निर्धारित स्थान एवं दिनांक व समय को खोली जावेगी।
3. अनुबन्ध अवधि एक वर्ष के लिये होगी जिसे तीन माह हेतु आगे बढायी जा सकेगी, जो कि निविदादाता को मान्य होगी। कार्यप्रणाली के अधार पर दोनो पक्षों की सहमति से निविदा अवधि अधिकतम एक वर्ष हेतु बढाई जा सकेगी।
4. प्रबन्ध संचालक न्यूनतम दर की निविदा स्वीकृत करने हेतु बाध्य नही होगें। प्रबन्धं संचालक को किसी भी निविदा प्रपत्र को स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार होगा और निविदा प्रपत्र निरस्त करने पर संबंधित निविदादाता को किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नही दिया जावेगा।
5. निविदादाता को स्वंय या स्वंय के कार्यालय का पता देना होगा, जिस पर संघ द्वारा पत्र व्यवहार किया जा सके। निविदादाता द्वारा दिये गये पते पर संघ द्वारा पत्र व्यवहार करने पर पत्र का प्राप्त होना माना जावेगा।
6. बिना अमानत राशि (नकद या डीडी) जमा करवायें निविदा प्रपत्र मान्य नहीं होगा।
7. अमानत एवं धरोहर राशि के रूप मे जमा रकम पर संघ द्वारा कोई ब्याज देय नही होगा।
8. फर्म निविदादाता के स्वयं के नाम पंजीकृत होना आवश्यक है तथा फर्म के लैटर पैड की प्रमाणित छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ सलंग्न करनी होगी अन्यथा इसके अभाव में निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
9. निविदा प्रपत्र के साथ 10,000/– रूपये व निविदा स्वीकृत होने के पश्चात एवं कार्य आदेश जारी होने से पूर्व 10,000/– रूपये कुल 20,000/– (बीस हजार रूपये) धरोहर राशि संघ में जमा करवानी होगी।
10. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गई दर को अंको व शब्दो में भरना होगा। दर सम्बन्धी किसी भी विवाद की स्थति में शब्दो में लिखी गई दर मान्य होगी।
11. निविदादाता द्वारा निविदा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होगे। निविदा शर्तो में निविदादाता को किसी भी शर्त को हटाने या जोडने का अधिकार नही होगा। यदि किसी निविदादाता द्वारा निविदा शर्तो में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन/फेरबदल किया जाता है तो यह मान्य नही होगा तथा संबंधित का निविदा प्रपत्र निरस्त कर दिया जावेगा।
12. पूर्व में यदि किसी निविददाता का संघ/आरसीडीएफ में कार्य संतोश–प्रद नही रहा है या ब्लेक लिस्ट किया गया है तो निविदा प्रपत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
13. निविदादाता द्वारा अनुबंध अवधि में अनुबन्ध निरस्त किया जाता है या संघ को हानि पहुॅचाने की कोशिश की जाती है तो संघ में जमा राशि जब्त कि जा सकती है।
14. निविदादाता द्वारा संघ के किसी अधिकारी या कर्मचारी के साथ अभ्रद व्यवहार जैसा कृत्य किया गया है तो ऐसी स्थिति में उसका निविदा निरस्त कि जा सकती है।
15. निविदा स्वीकृति होने पर निविदादाता को संघ के साथ **500/–** रूपये के नोन जूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
16. निविदादाता द्वारा संघ के प्रतिनिधी/बीएमसी समिति के सचिव के फोन करने पर फोन न उठाने व तय समय अनुसार संबंधित बीएमसी समिति की शिकायत का निवारण न करने पर अनुबन्ध शर्तो अनुसार जुर्माना लगाया जायेगा।
17. निविदादाता को पैन कार्ड,आधार कार्ड की छायाप्रति साथ संलग्न करनी होगी।

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर

अनुबन्ध प्रपत्र

मैसर्स / श्री...

....

प्रथम पक्ष (.....................................)

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0. हनुमानगढ जंक्शन जरिये प्रबन्ध संचालक गंगमूल हनुमानगढ ज0 – (द्वितीय पक्ष)

यह अनुबन्ध आज दिनॉक .... को श्री गंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड हनुमानगढ जंक्शन (जिसे आगे संघ लिखा जाएगा) एवं .... (मैसर्स / श्री....................................) के मध्य आगामी **एक वर्ष** की अवधि के लिये संघ के कार्यक्षेत्र में कार्यरत बीएमसी का रखरखाव व मरम्मत हेतु किया गया है। यह अनुबंध दोनो पक्षो की सहमति से किया गया ।

दोनो पक्षो की सहमति से अनुबन्ध की अवधि **आगामी एक वर्ष** (दिनांक .... से दिनांक .... तक) अवधि निर्धारित की गई है। उक्त अवधि मे ....संघ कार्यक्षेत्र में स्थापित बीएमसी की सर्विस एवं रिपेयर पुरानी बीएमसी इन्स्टॉल व डिस्मेंटल संबंधित समस्त कार्य समिति स्तर पर जाकर करेगा।

अनुबंध शर्ते

1. ठेका अवधि एक वर्ष होगी जिसे 3 माह तक बढाया जा सकेगा जो प्रथम पक्ष को मान्य होगा। कार्यप्रणाली के आधार पर दोनों पक्षों की सहमति से निविदा अवधि अधिकतम 1 वर्ष तक बढाई जा सकेगी।
2. भुगतान हेतु प्रत्येक संबंधित समिति के सचिव/अध्यक्ष से प्रमाणिकरण पश्चात संबंधित प्रभारी को बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
3. ठेका अवधि के दौरान प्रथम पक्ष के मैकेनिक को प्रत्येक तीन माह में प्रत्येक बीएमसी समिति पर कम से कम एक विजिट करनी आवश्यक होगी। विजिट के दौरान सर्विस मकैनिक को पूर्ण सर्विस कर संघ को सूचित करना होगा।
4. ठेका अवधि के दौरान आपातकालीन स्थिति में प्रथम पक्ष को 24 घण्टों के अन्दर बीएमसी की सर्विस व रिपेयर करनी होगी। अन्यथा उस से प्रतिदिन 500/– जुर्माना वसूल किया जा सकेगा।
5. ठेका अवधि के दौरान बीमएसी के स्पेयरपार्ट का भुगतान फर्म द्वारा संबंधित समिति से प्रमाणित बिल प्रस्तुत करने के उपरान्त नियमानुसार आयकर/TDS काटकर संघ द्वारा समितियों से कटौति पश्चात करवाया जावेगा।
6. प्रथम पक्ष द्वारा किसी भी समिति से बीएमसी रिपेयर व मेन्टीनेंस का भुगतान नहीं लिया जावेगा, प्रत्येक भुगतान संघ द्वारा ही करवाया जावेगा।
7. प्रथम पक्ष द्वारा पुराने बीएमसी को आवश्यकता पड़ने पर इन्स्टॉल व डिस्मेन्टल करने होंगें जिसकी इन्स्टॉल राशि 5000 रूपये व डिस्मेन्टल राशि 1500 रूपये अधिकतम होगी जिसका भुगतान संबंधित समिति द्वारा किया जायेगा।
8. ठेका अवधि के दौरान आपात स्थिति में बीएमसी सर्विस व रिपेयर के लिए प्रथम पक्ष को शिकायत सुबह सात बजे से रात नो बजे तक दूरभाष पर नोट करवा दी जायेगी एवं प्रथम पक्ष को शिकायत नोट कर शिकायत नम्बर देने होगें।
9. ठेका अवधि के दौरान प्रथम पक्ष को एक कुशल मैकेनिक संघ कार्यक्षेत्र के लिये रखना होगा। प्रथम पक्ष के कार्मिक से संबंधित की समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।
10. ठेका अवधि के दौरान अगर प्रथम पक्ष द्वारा ठेका बीच में छोड दिया जाता है या उसका कार्य संतोष जनक नहीं होता है तो उसकी धरोहर राशि व अन्य समस्त बकाया भुगतान जब्त कर उसे काली सूची में भी डाला जा सकता है।

11. प्रथम पक्ष को कुल 20,000/– रूपये (बीस हजार रूपये) धरोहर राशि संघ में जमा करवानी होगी, जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा।
12. कार्यालय की पूर्व अनुमति के बिना प्रथम पक्ष अपना ठेका किसी अन्य को स्थानान्तरित नहीं कर सकेगी। विशेष परिस्थितियों में ठेका 2000/– स्थानान्तरण भुल्क जमा करवाकर प्रबंध संचालक की स्वीकृति के पश्चात ही स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
13. बीएमसी की सर्विस व रिपेयर में काम आने वाले स्पेयरपार्ट की मुल्य सूचि संघ को उपलब्ध करवानी होगी।
14. ठेका अवधि के दौरान प्रथम पक्ष को सर्विस व रिपेयर के लिए अपने स्तर पर बीएमसी समिति पर जाना होगा। इसके लिए संघ द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
15. किसी भी शर्तो का उल्लघंन करने या कार्यालय/समिति के कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार व कार्य आदेश की अवहेलना करने पर 1000/– रूपये तक का आर्थिक दण्ड लगाने ठेका समाप्त करने का अधिकार संघ को होगा।
16. प्रथम पक्ष को सदस्यता शुल्क 100 रूपये जमा करवाकर गंगमूल का नोमिनल सदस्य बनना होगा।
17. परिस्थितियों/संघ की आवश्यकतानुसार संघ हित में अनुबंध की शर्तो में परिवर्तन करने, किसी शर्त को हटाने अथावा नई शर्त लागू करने का पूर्ण अधिकार संघ के प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।
18. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र हनुमानगढ होगा।

हस्ताक्षर

प्रबंध संचालक/संघ प्रतिनिधि

अनुबंधकर्ता का पूरा नाम....................................

स्थाई पता ....

....